

कार्यालय, नगर पालिक निगम राजनांदगांव (छ.ग.)

// निविदा सूचना //

क्र 537/निविदा/लोक/2017-18,

राजनांदगांव दिनांक 04/7/2017

नगर पालिक निगम, राजनांदगांव में निम्न कार्य हेतु छ.ग. शासन के आदेश के तहत केन्द्रीयकृत पंजीयन में सक्षम श्रेणी (द एवं अपर श्रेणी) में पंजीकृत ठेकेदारों से नान एस.ओ. आर. आयटम दर/एस.ओ.आर. दर के आधार पर फार्म "सी" में मुहरबंद निविदायें दो लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित करती है। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमा कर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाइट से सीधे निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेंगे।

1. निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21/7/2017 शाम 5.00 बजे तक
2. प्राप्त निविदाएं खोलने की तिथि 24/7/2017 शाम 5.00 बजे तक

कार्यपालन अभियंता के कक्ष में नगर पालिक निगम, राजनांदगांव

क.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि लाख में	अमानती राशि रूपये में	निविदा प्रपत्र मूल्य रूपये में	समयावधि
1	2	3	4	5	6
1	वार्ड नं. 36 हाट बाजार में सामुदायिक भवन निर्माण	4.00	4000.00	750.00	04 माह

शर्तें:-

1. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
2. अमानत राशि का एफ.डी.आर निविदा के साथ संलग्न करना एवं लिफाफे में उसका विवरण अंकित करना होगा।
3. निविदा में भाग लेने के इच्छुक निविदाकार निविदा प्रपत्र करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय अपने आवेदन में कार्य का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। कांट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जावेगे। निविदा प्रपत्र मूल्य जमा कराने उपरांत ही आवेदन संबंधित शाखा में प्रस्तुत करना होगा।
4. दरें अंकों एवं शब्दों में स्पष्ट अंकित करना होगा। कांट-छांट या अपलेखन मान्य नहीं किये जायेगे।
5. नियम व शर्तों की जानकारी कार्यालयीन अवधि में देखी/प्राप्त की जा सकती है।

6. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम 1996 के अंतर्गत 1.00 प्रतिशत राशि की कटौति निर्माण कार्य के प्रस्तुत होने वाले देयकों से की जावेगी ।
7. छ.ग. शासन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ 5-190/18/05 रायपुर दिनांक 19.01.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत से कम निविदा दर होने पर सफल निविदादाता को निविदा दर एवं अनुमानित लागत से 90 प्रतिशत के अंतर की राशि समतुल्य परफार्मेंस गारंटी के रूप में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा ।
8. आहुत की गई निविदा तिथियों को किसी कारणवश अवकाश घोषित होते हैं, तो निविदा कार्यवाही अग्रिम कार्य दिवस में संपन्न किये जायेंगे । इसके लिये पृथक से सूचना जारी नहीं किये जायेंगे ।
9. छत्तीसगढ़ शासन के पत्र क्रमांक 243/वि.नि./चार/2003 नया रायपुर 06 जुलाई 2013 के निर्देशानुसार राज्य में प्रोक्योरमेंट एवं कार्य संबंधी निविदाओं में सत्यनिष्ठा संधि का पालन करना होगा ।
10. सफल निविदाकार को श्रम नियम/अधिनियमों का पालन करना अनिवार्य होगा ।
11. सफल निविदाकार के तीन दिनों के भीतर अनुबंध करना अनिवार्य होगा ।
12. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर निगम, राजनांदगांव निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा ।

Bhms
04/07/13
आयुक्त

नगर पालिक निगम राजनांदगांव
राजनांदगांव दिनांक / /2017

पृ.क. 538/लोक-11/2017-18,

प्रतिलिपि:-

1. माननीय महापौर, नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ ।
2. माननीय अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सादर सूचनार्थ ।
3. प्र. सदस्य लोककर्म, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव की ओर सूचनार्थ ।
4. सहायक जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, राजनांदगांव को सूचनार्थ ।
5. राजस्व अधिकारी नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनार्थ ।
6. प्रभारी अधिकारी डाटा सेंटर नगर पालिक निगम राजनांदगांव को सूचनार्थ एवं विभागीय एवं शासन के वेबसाईड में अपलोड किये जाने ।
7. कार्यालय नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु ।

Bhms
04/07/13
आयुक्त

नगर पालिक निगम राजनांदगांव